

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक : प.3(35)/आ.कृ./लेखा/बजट(प्रतिबद्ध)/2022-23/ 5850-58 दिनांक : 24/06/2022

कार्यालय आदेश

वित्तीय वर्ष 2022-23 में कार्यालय सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) मेडता सिटी (नागौर) द्वारा यात्रा बिलों में बजट अनुमान (आय-व्यय) 2022-23 में दिये गये प्रावधान से अधिक अप्रत्याशित व्यय किया गया है। उक्त किये गये अप्रत्याशित व्यय की जाँच एवं सम्बन्धित रिकॉर्ड के सत्यापन के लिए दिनांक 27.06.2022 से 28.06.2022 तक सम्बन्धित कार्यालय में जांच हेतु निम्नानुसार आन्तरिक जांच दल का गठन किया जाता है :-

1. श्री रामावतार बैरवा, सहायक लेखाधिकारी-प्रथम
2. श्री जय कुमार, सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय
3. श्री शिवाशिष शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार

अतः उक्त जांच दल निर्धारित समय को सम्बन्धित कार्यालय में उपस्थित होकर जांच/सत्यापन उपरांत रिपोर्ट अधौहस्ताक्षरकर्ता को सुपुर्द करावें।

52-
(सिरमौर मीना)
वित्तीय सलाहकार, कृषि

क्रमांक : प.3(35)/आ.कृ./लेखा/बजट(प्रतिबद्ध)/2022-23/ 5850-58 दिनांक : 24/06/2022

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. अतिरिक्त निदेशक, कृषि (विस्तार), मुख्यालय, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार), चम्पैस सीनर /
3. सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार), मेडता सिटी, नागौर को भेजकर लेख है कि जांच दल को रिकॉर्ड के सत्यापन हेतु/अप्रत्याशित व्यय की जांच हेतु आवश्यक रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करावें। उक्त रिकॉर्ड से सम्बन्धित कार्मिको को निर्धारित अवधि को कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबंद करावें।
4. सम्बन्धित कार्मिक श्री
5. ए.सी.पी. मुख्यालय जयपुर को कृषि विभाग की वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।


वित्तीय सलाहकार

J.A
22